## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ
### पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 — 80 / 2024

उनवान : —

1. कमलेश पत्नी जिलेसिंह जाति बावरी निवासी डूंगराना तहसील भादरा

प्रार्थीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरेवेन्यू एक्ट
उपस्थिति :—श्री जगदीश प्रसाद प्रार्थी
राजपैरोकार अप्रार्थी

**निर्णय** दिनांकः 21/5/25

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा डूंगराना के खाता सं0 49/354 के खसरा सं0 590/3 की 0.5500है0 कुल 0.5500है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थीया कमलेश पत्नी जिलेसिंह जाति बावरी साकिन नई बारेका तहसील सुरतगढ खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया साकिन नई बारेका तहसील सुरतगढ के स्थान पर साकिन डूंगराना तहसील भादरा दर्ज करवाना चाहती है।

प्रार्थीया के जिनके सभी दस्तावेजों आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, बैंक पास बुक एंव अन्य दस्तावेजों में प्रार्थीया का सही एंव वास्तविक निवास स्थान साकिन डूंगराना तहसील भादरा दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थीया का साकिन राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थीया अपनी खातेदारी भूमि का सही प्रकार से उपयोग—उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में उक्त साकिन की शुद्धि करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद राजपैराकार तहसीलदार भादरा ने अपना जवाब पेश किया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि रोही मौजा डूंगराना के खाता सं0 49/354 के खसरा सं0 590/3 की 0.5500है0 कुल 0.5500है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थीया कमलेश पत्नी जिलेसिंह जाति बावरी साकिन नई बारेका तहसील सुरतगढ खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें प्रार्थीया के सही निवास स्थान साकिन डूंगराना तहसील भादरा के स्थान पर पर अशुद्ध साकिन नई बारेका तहसील सुरतगढ दर्ज है, अतः प्रार्थीया का साकिन नई बारेका तहसील [illegible] के स्थान पर प्रार्थीया का सही साकिन डूंगराना तहसील भादरा दर्ज [illegible] अपनी वाद भूमि का सही उपयोग उपभोग कर सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.05.07 11:12:26 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर म[illegible] किया गया। पत्रा[illegible] में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात तथा तहसीलदार भादरा से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा डूंगराना के खाता सं0 49/354 के खसरा सं0 590/3 की 0.5500है0 कुल 0.5500है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थीया कमलेश पत्नी जिलेसिंह जाति बावरी साकिन नई बारेका तहसील सुरतगढ खातेदारी दर्ज है उक्त राजस्व रिकार्ड में कमलेश पत्नी जिलेसिंह जाति बावरी साकिन नई बारेका तहसील सुरतगढ की जगह कमलेश पत्नी जिलेसिंह जाति बावरी साकिन नई बारेका तहसील सुरतगढ हाल निवासी डूंगराना तहसील भादरा दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे एवं यदि कृषि भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। तथा यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि कमलेश पत्नी जिलेसिंह जाति बावरी साकिन नई बारेका तहसील सुरतगढ के नाम से हो तो उसके लिए पूर्व नाम कमलेश पत्नी जिलेसिंह जाति बावरी साकिन नई बारेका तहसील सुरतगढ ही लागू होगा।

निर्णय आज दिनांक 21/5/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.05.07 11:12:26 IST
Reason: SelfAttested